



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2020

आषाढ 12, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—3

संख्या 573/76-3-2020-10जीडब्लू-2014-भू०ज०प०

लखनऊ, 3 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-145

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 573/LXXVI-3-2020-10GW-2014, dated July 3, 2020 :

No. 573/LXXVI-3-2020-10GW-2014

Dated Lucknow, July 3, 2020

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the District Ground Water Management Council to constitute the Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee for each Gram Panchayat of each district of the State consisting the Chairperson and members in accordance with the provisions of said section.

By order,

ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-103-राजपत्र (हि०)-(207)-2020-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-3 सा० नमामि गंगे-(208)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 03 जुलाई, 2020
आषाढ़ 12, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3
संख्या 573/76-3-2020/10जीडब्लू/2014-भू0ज0प0
लखनऊ, 03 जुलाई, 2020
अधिसूचना

प०आ०-145

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक खण्ड के लिये उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति का गठन करने के लिये निदेश देती है।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 573/LXXVI-3-2020/GW/2014, dated July 03, 2020 :

No. 573/ LXXVI-3-2020/GW/2014
Dated Lucknow, July 03, 2020

IN exercise of the powers under sub-section 3 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the District Ground Water Management Council to constitute the Block Panchayat Ground Water Management Committee for each block of each district of the State consisting the Chairperson and members in accordance with the provisions of said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-104-राजपत्र -(208)-2020-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-4 सा० नमामि गंगे तथा ग्रामीण-(209)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2020
आषाढ 12, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3
संख्या 575/76-3-2020/10जीडब्लू/2014-भू0ज0प0
लखनऊ, 3 जुलाई, 2020
अधिसूचना

प०आ०-147

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को राज्य के प्रत्येक जिला के नगरीय क्षेत्रों के लिये उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 575/ LXXXVI -3-2020/10GW/2014, dated July 3, 2020 :

No. 575/LXXXVI-3-2020/10GW/2014
Dated Lucknow, July 3, 2020

IN exercise of the powers under section 5 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the District Ground Water Management Council to constitute the Municipal Water Management Committee for urban areas of each district of the State consisting the Chairperson and members in accordance with the provisions of said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.